समाहरणालय, अरवल।

(जिला पंचायत शाखा)

—: आदेश :—

बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्याः—3प/विविध/17—20/2018/4046/पं0रा0 पटना दिनांक 25.07.2018 प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 5829/पं0रा0 दिनांक 22.10.2018 एवं 5861/पं0रा0 दिनांक 24.10.2018 के आलोक में पंचायती राज विभाग अंतर्गत अरवल जिले के लिए लेखापाल—सह—आई0टी0 सहायक के कुल 16 रिक्त पदों के विहित प्रक्रिया अपनाकर 20.11.2018 को काउंसिलिंग करायी गयी थी, तदोपरांत विभागीय निर्देश के अनुपालन में पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। दिनांक 28.06.2019 को जिलाधिकारी, अरवल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि पैनल में वरीयता क्रम में आनेवाले वैसे अभ्यर्थियों जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्राप्त हो चुका है, का नियोजन किया जाए। उक्त के अनुरूप निम्नांकित 01 (एक) अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित प्रखंड में लेखापाल—सह—आई0टी0 सहायक के पद पर पदस्थापित करते हुए पंचायतों का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है :—

SN.	Dept. SN	Total Points	Application ID	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Category	अभ्युक्ति	चयनित क्रमांक	जिला/गृह प्रखंड का नाम	पदस्थापित प्रखंड	आवंटित पंचायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	61	74.58	AIT/0092186	DEEPMALA KUMARI	KAMLESH RAM	12-Feb-95	Female	SC	सत्यापित	18	कलेर	कुर्था / करपी	अहमदपुर हरणा, निधवाँ, मानिकपुर, बम्भई

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 4046/पं0रा0 पटना दिनांक 25.07.2018 में उद्दृत लेखापाल—सह—आई0टी0 सहायक के लिए आवश्यक शर्तें :—

1. उपर्युक्त चयन दिनांक 31 मार्च 2021 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।
2. संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी का होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।
4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
5. इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिन की आकस्मिक अनुपस्थिति अनुमान्य होगी।
6. मानदेय :— इन कर्मियां को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल लेखापाल—सह—आई0टी0 सहायक को 20,000 (बीस हजार) रूपया का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय—समय पर वित्त विभाग के सहमति से वृद्धि की जा सकेगी।
7. मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत करना अपेक्षित नहीं होगा।
9. किसी प्रकार की तकनीकी अथवा गलत साक्ष्य प्रमाणित पाये जाने पर नियोजन बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
10. योगदान के समय सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र मूल मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना होगा। साथ ही दहेज लेने/नहीं देने संबंधी शपथ प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।
11. असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत योगदान नहीं किये जाने पर उनका दावा मान्य नहीं होगा।

13. उपर्युक्त क्रमांक 01 से 12 तक सभी बिन्दुओं से संबंधित एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जायेगा एवं जिला पंचायत शाखा में सर्वप्रथम योगदान करेंगे। उसके बाद उन्हें कार्य करने हेतु प्रखंड भेजा जायेगा।

14. इस चयन में कोई त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उसे परिमार्जित कर दिया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल का दायित्व होगा कि ऐसा कोई मामला भविष्य में आने पर उसे चयन समिति के समक्ष रखेंगे।

15. चयनित कर्मियों को तीन माह में कम्पयूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।

16. लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के निम्नवत् दायित्व होगें :–

(i) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(ii) अभिलेखों का विधिसम्मत् संधारण सुनिश्चित कराना।

(iii) ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।

(iv) ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।

(v) अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

(vi) सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

(vii) **e-Panchayat** का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(viii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल जिला के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अन्य आवंटित कार्यों को सम्पन्न कराना।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक– 404/पंचायत अरवल, दिनांक– 11.09.2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अरवल जिला के वेबसाईट पर पत्र को अलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्था एवं करपी को सूचनार्थ प्रेषित। योगदान प्राप्ति के पश्चात योगदान की विस्तृत सूचना ससमय देंगे।

प्रतिलिपिः– प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कुर्था एवं करपी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रोगामर, जिला पंचायत राज कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– चयनित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक, अरवल को सूचनार्थ एवं यथा निदेशित ससमय सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए योगदान प्रस्तुत कर आवंटित कार्यों को सम्पादनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– एक प्रति रक्षित संचिका में।

11/9/2020

जिला पदाधिकारी,
अरवल।